वर्ष : 33 » अंक : 188 » पृष्ठ : 8 » मुंबई, मंगलवार, 24 सितंबर 2024 » RNI: MAHHIN/49994/91 » मूल्य : 3 रुपए » epaper.dobajedopahar.com » संपादक : अरुण लाल

दो बजे दोपहर

मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़, नासिक, पुणे से एक साथ प्रकाशित

पत्रकारिता पावर नहीं रिस्पांसिबिलिटी है

महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव

महाराष्ट्र चुनाव से पहले शिंदे सरकार ने खोला खजाना

23 अहम फैसलों पर कैबिनेट की मुहर

सरकार ने सरपंच और उपसरपंच की सैलरी बढ़ाई

जिस ग्राम पंचायत की जनसंख्या 2000 से 8000 तक है उस ग्राम पंचायत के सरपंच की सैलरी 4000 से बढ़ाकर 8000 रुपए कर दिया गया है। उपसरपंच की सैलरी 1500 रुपए से बढ़ाकर 3000 रुपए कर दिया गया है। जिन ग्राम पंचायतों की आबादी 8000 से अधिक है, वहां सरपंच की सैलरी 5000 रुपए से बढ़ाकर 10000 रुपए कर दिया गया है। जबकि उप सरपंच की सैलरी 2000 रुपए से 4000 रुपए करने का फैसला किया गया है। इस वेतन वृद्धि से राज्य सरकार पर सालाना 116 करोड़ रुपए का वित्तीय बोझ पड़ेगा।

फैसलों से सभी वर्गों को साधने का प्रयास

अमित बृज । मुंबई

महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के ऐलान से पहले एकनाथ शिंदे सरकार ने सोमवार को कई बड़े फैसले लिए। अपने फैसलों में सरकार ने ब्राह्मण और राजपूतों को भी साधने का पूरा प्रयास किया है। सरकार ने ओबीसी ब्राह्मण और राजपूतों के लिए महामंडल बनाने का ऐलान किया है। इसके लिए कैबिनेट में प्रस्ताव भी गया। इसके अलावा सरपंच-उपसरपंच को भी बड़ा तोहफा दिया है। किसानों को लेकर भी बड़ा ऐलान किया है। कैबिनेट ने कई ऐसे फैसले लिए हैं जो चुनाव के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। इस बैठक में ग्रामीण विकास विभाग के तहत छह मांगों को मंजूरी दी गई है। मुख्य रूप से राज्य में सरपंच और उपसरपंच का वेतन दोगुना करने का निर्णय लिया गया। सरकार कहा कि जिन ग्राम पंचायत की जनसंख्या 2000 तक होगी उस ग्राम पंचायत के सरपंच का वेतन 3000 रुपए से बढ़ाकर 6000 रुपए कर दिया जाएगा, तो डिप्टी की सैलरी 1000 से बढ़ाकर 2000 रुपए कर दिया जाएगा।

ग्राम सेवक और ग्राम विकास अधिकारी का पद एक समान होगा

इसके साथ ही राज्य कैबिनेट ने ग्राम सेवक और ग्राम विकास अधिकारी के पद को एक पद करने की भी मंजूरी दे दी है। पिछले कुछ दिनों से लगातार मांग उठ रही थी कि ग्राम सेवक और ग्राम विकास अधिकारी का पद एक ही होना चाहिए। आखिरकार कैबिनेट ने राज्य में कार्यरत ग्राम सेवक और ग्राम विकास अधिकारी को एक ही पद पर नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है।

ग्राम पंचायत एजेंसी को मिली बड़ी अनुमति

साथ ही ग्रामीण विकास विभाग ने राज्य में ग्राम पंचायतों को 15 लाख तक के विकास कार्य ग्राम पंचायत एजेंसी के रूप में कराने का निर्णय लिया है. इस निर्णय से 75 हजार तक की वार्षिक आय वाली ग्राम पंचायतें ग्राम पंचायत एजेंसी के रूप में 10 लाख तक के कार्य करा सकेंगी. जिन ग्राम पंचायतों की वार्षिक आय 75 हजार से अधिक है, वे ग्राम पंचायतें ग्राम पंचायत एजेंसी के रूप में 15 लाख रुपए तक की कार्य करा सकती हैं. इस फैसले को लागू करते समय 10 लाख से ऊपर के काम के लिए ई-टेंडरिंग सिस्टम अपनाना अनिवार्य होगा।

अन्य निर्णय

- लोहगांव हवाई अड्डे का नाम बदलकर जगद्गुरु संत तुकाराम महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पुणे करने का निर्णय।
- बाल वेधशाला स्टाफ के लिए गारंटीकृत प्रगति योजना : शिक्षकों के लिए वरिष्ठ चयन श्रेणी।
- धान उत्पादक किसानों को राहत : अब 40 रुपये प्रति क्विंटल अतिरिक्त माल भाड़ा।
- तीन कुणबी उपजातियों को अन्य पिछड़ा वर्ग सूची में शामिल करना।
- जुन्नर में जिला और अतिरिक्त सत्र न्यायालय।
- शिरूर से छत्रपति संभाजीनगर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे 1486 करोड़ का प्रोजेक्ट।
- करदाताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए जीएसटी अधिनियम (वित्त) में संशोधन।
- यवतमाल, जलगांव जिले में यार्न मिलों को बकाया भुगतान के लिए किस्त।
- क्रिकेटर अजिंक्य रहाणे के लिए एक सुसज्जित खेल सुविधा स्थापित करने के लिए बांद्रा में भूखंड।
- बांद्रा में बॉम्बे हाई कोर्ट के नए परिसर का निर्माण।
- हरित हाइड्रोजन नीति में पारदर्शी रूप से एंकर यूनिट का चयन करना।
- एसटी निगम की भूमि को बीओटी आधार पर विकसित किया जाएगा : साठ वर्षों के लिए लीज समझौता।
- राज्य में 14 IT। संस्थानों का नामांकन।
- छत्रपति संभाजीनगर, नागपुर में कानून विश्वविद्यालयों को सात करोड़ रुपए।
- उच्च योग्यता प्राप्त खिलाड़ियों की सीधी भर्ती के निर्णय में संशोधन।
- जल संसाधन कर्मचारियों को वरिष्ठ वेतनमान।
- श्रीरामपुर तालुका के मौजे हरेगांव में कृषि निगम की भूमि को मूल मालिकों को लौटाई जाएगी।
- दूध सब्सिडी योजना जारी रहेगी। गाय के दूध पर उत्पादकों को 7 रुपए प्रति लीटर की सब्सिडी।
- महाराष्ट्र राज्य सांस्कृतिक नीति की घोषणा।

आर्थिक रूप से कमजोर ब्राह्मण और राजपूतों के लिए निगम का गठन

महाराष्ट्र की शिंदे सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए ब्राह्मण और राजपूत जातियों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए दो अलग-अलग निगमों के गठन की घोषणा की है। कैबिनेट के फैसले के अनुसार ब्राह्मण जातियों के लिए 'परशुराम आर्थिक विकास निगम' और राजपूत समुदाय के लिए 'वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप आर्थिक विकास निगम' का गठन किया जाना है। दोनों निगमों को कैबिनेट ने 50-50 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। इसके अलावा दूध पर सब्सिडी जारी रखने तथा गाय के दूध पर सब्सिडी 7 रुपए प्रति लीटर करने, धान किसानों को 40 रुपए प्रति क्विंटल अतिरिक्त माल भाड़ा देने तथा करदाता के हित में जीएसटी अधिनियम में संशोधन करने जैसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

'बदला'पुर!

आरोपी अक्षय शिंदे की एनकाउंटर में मौत

विपक्ष ने उठाए सवाल

धीरज सिंह । मुंबई

बदलापुर में दो नाबालिग बच्चियों के साथ दुष्कर्म के आरोपी अक्षय शिंदे की पुलिस एनकाउंटर में मौत हो चुकी है। इस एनकाउंटर के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में बवाल मचा हुआ है। विपक्ष का कहना है कि स्कूल के ट्रस्टी भी इस मामले में आरोपी थे। उन्हें अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया है और मामले को खत्म करने के लिए मुख्य आरोपी को मार दिया गया। विपक्ष का आरोप है कि स्कूल के दोनों ट्रस्टी को बचाने के लिए यह सब किया गया है। वहीं, राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि पुलिस ने अपनी रक्षा में गोली चलाई है और इस पर सियासत नहीं की जानी चाहिए।

विपक्ष ने न्यायिक जांच की मांग की

नेता विपक्ष विजय वादेत्तिवार ने अक्षय शिंदे एनकाउंटर पर सवाल उठाते हुए कहा कि इसकी न्यायायिक जांच होनी चाहिए। एनसीपी नेता अनिल देशमुख ने लिखा 'बदलापुर कांड के आरोपी अक्षय शिंदे का एनकाउंटर होने की खबर है। आत्मरक्षा का यह दिखावा यकीन करने लायक नहीं है। दोनों हाथों में बेड़ियां लगा हुआ आदमी पुलिस वाले की पिस्तौल कैसे छीन सकता है? इस मामले में स्कूल संचालक भाजपा पदाधिकारी भी उतना ही दोषी है जितना आरोपी अक्षय शिंदे। अपनी पार्टी के पदाधिकारी को बचाने और मामले को दबाने के लिए एनकाउंटर की यह झूठी कहानी गढ़ी जा रही है।' एनसीपी शरद पवार पार्टी के नेता जयंत पाटिल ने भी अक्षय शिंदे के मौत पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि बदलापुर के आरोपी ने पुलिस की बंदूक छीनकर खुद पर गोली चलाकर खुदकुशी की ऐसी खबर सामने आ रही है। आरोपी की जांच होती तो जिस संस्थान को बचाने के लिए कवायद की जा रही थी, उसकी पोल खुल जाती थी। इसके साथ ही उन पुलिसवालों की भी पोल खुल जाती थी, जिन्होंने उस नाबालिग का लैंगिक शोषण होने के बाद शिकायत लेने में देरी की थी इसलिए उनको बचाने के लिए इसको ही ऊपर भेज देते हैं ऐसी रणनीति हो सकती है।

क्या कहा सीएम ने?

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा 'बदलापुर मामले के आरोपी अक्षय शिंदे की पत्नी ने लैंगिक अत्याचार का मामला दर्ज किया था इसलिए उसे जांच के लिए ले जा रहे थे। इसी बीच उसने पुलिसकर्मी नीलेश मोरे पर गोली चलाई, जिसमें नीलेश मोरे जख्मी हुए हैं। पुलिस ने भी बचाव में गोली चलाई है। यह प्राथमिक जानकारी मुझे मिली है। बाकी की जानकारी पुलिस जांच में सामने आएगी।'

देवेंद्र फडणवीस ने क्या कहा?

महाराष्ट्र के गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि पुलिस के ऊपर उसने पुलिस की बंदूक छीनकर फायरिंग की, जिसमें पुलिस ने अपने आपको बचाने के लिए जवाबी फायरिंग की। इसमे अक्षय शिंदे को गोली लगी और उसकी मौत हो गई।

विपक्ष के बड़े सवाल

- बदलापुर अत्याचार मामले में स्कूल ट्रस्टी अभी भी गिरफ्तार नहीं हुए हैं, वे फरार हैं उन्हें अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा सकता?
- क्या इस मामले में फरार आरोपियों को बचाने के लिए मुख्य आरोपी का एनकाउंटर कर मामले को खत्म करने की कोशिश की जा रही है?
- क्या पूरे मामले को दबाने की उच्चस्तरीय कोशिश के तहत पुलिस ने आरोपियों का एनकाउंटर किया है?

वर्षा गायकवाड़ ने मांगा फडणवीस का इस्तीफा

कांग्रेस सांसद वर्षा गायकवाड़ ने अक्षय शिंदे एनकाउंटर की सीबीआई जांच की मांग करते हुए पूछा कि अक्षय को ट्रांजिट रिमांड के लिए ले जाते वक्त पुलिस की रिवॉल्वर उसके हाथ कैसे आई। स्कूल का संचालक आप्टे अब भी फरार है और ऐसे में आरोपी अक्षय का एनकाउंटर होता है। मुख्यमंत्री आपको जवाब देना होगा। महिलाएं तो वैसे भी राज्य में सुरक्षित नहीं हैं। उन्होंने गृहमंत्री के इस्तीफे की भी मांग की। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने एक्स पोस्ट में लिखा 'खबर है कि बदलापुर बाल शोषण मामले के आरोपी अक्षय शिंदे की पुलिस मुठभेड़ में मौत हो गई है। बताया गया है कि शिंदे ने पुलिस से बंदूक छीन ली और खुद पर और पुलिस पर गोली चलाई। पुलिस ने आत्मरक्षा में गोली चलाई और उसकी मौत हो गई।

बॉम्बे हाईकोर्ट ने पुलिस की तकनीकी गलती से आरोपियों की रिहाई पर चिंता जताई

अदालत ने मुंबई पुलिस को हलफनामा दाखिल कर जवाब देने का दिया निर्देश

दोपहर संवाददाता । मुंबई

बॉम्बे हाई कोर्ट ने गंभीर मामलों में भी पुलिस की तकनीकी गलती के कारण आरोपियों की रिहाई पर चिंता जताई। अदालत ने कहा कि कई गंभीर अपराधों में आरोपियों को केवल इस तकनीकी आधार पर रिहा किया जाता है कि जांच अधिकारी ने उन्हें लिखित में गिरफ्तारी का आधार नहीं बताया। अदालत ने वर्ली हिट-एंड-रन मामले में पुलिस को हलफनामा दाखिल कर जवाब देने का निर्देश दिया है। आरोपियों ने अपनी याचिका में वर्ली पुलिस की उनकी गिरफ्तारी को अवैध बताया है। न्यायमूर्ति भारती डांगरे और न्यायमूर्ति मंजूषा देशपांडे की पीठ के समक्ष वर्ली हिट-एंड-रन मामले में मुख्य आरोपी मिहिर शाह समेत दो आरोपियों की याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका में दावा किया गया है कि उनकी गिरफ्तारी अवैध है। पुलिस ने उन्हें लिखित में गिरफ्तारी का आधार नहीं बताया। पीठ ने पूछा कि पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तारी से पहले उनके खिलाफ कार्रवाई का आधार क्यों नहीं बताया? यह पुलिस की तकनीकी खामी है। इस मामले में महिला को घसीटा गया और फिर

आरोपी भाग गए। विशेष सरकारी वकील हितेन वेनेगावकर से कहा कि जांच दल के पास सीसीटीवी फुटेज सहित पर्याप्त सबूत हैं, जो दिखाते हैं कि मिहिर शाह ड्राइविंग सीट पर थे और उनके ड्राइवर राजर्षि बिदावत उनके बगल में बैठे थे। गवाहों ने भी उन दोनों की पहचान की है, जो अपराध करने के बाद मौके से भाग गए थे।

मामले की अगली सुनवाई 9 अक्टूबर को

आरोपी शाह को पता था कि उसने जघन्य अपराध किया है। इसलिए उसने अपना हुलिया बदल लिया। मिहिर शाह और उसके ड्राइवर राज ऋषि विदावत की ओर से पेश हुए वकील निरंजन मुंदरगी ने दलील दी कि जांच अधिकारी ने उनके मुवक्किलों को गिरफ्तारी के आधार लिखित रूप में नहीं बताए। यह अनुच्छेद 21 और 22 के तहत उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। इस पर वेनेगावकर ने कहा कि जांच अधिकारी ने उन्हें मौखिक रूप से उनकी गिरफ्तारी के आधार बताए थे। पीठ ने पुलिस को इसको लेकर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 9 अक्टूबर को रखी गई है। मुख्य आरोपी मिहिर शाह राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के करीबी शिवसेना नेता राजेश शाह के बेटे हैं। उन्हें इस साल 9 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था।

मानहानि मामला

मजिस्ट्रेट के आदेश के खिलाफ उद्धव, राउत की अर्जी खारिज

दीपक पवार । मुंबई

शिवसेना युबीटी नेता उद्धव ठाकरे और संजय राउत की वह संयुक्त अपील एक विशेष अदालत ने सोमवार को खारिज कर दी जो उन्होंने एक मजिस्ट्रेट के आदेश के खिलाफ दायर की थी। मजिस्ट्रेट ने अपने आदेश में लोकसभा के पूर्व सदस्य राहुल शेवाले द्वारा दायर मानहानि के

मामले में ठाकरे और राउत को आरोपमुक्त करने से इनकार कर दिया था।

क्या है पूरा मामला?

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के सदस्य शेवाले ने शिवसेना के मुखपत्र 'सामना' के मराठी और हिंदी संस्करणों में उनके खिलाफ 'अपमानजनक लेख' प्रकाशित करने के लिए ठाकरे और राउत के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 500 (मानहानि) के तहत कार्यवाही की मांग की है। शेवाले ने 29 दिसंबर, 2022 को प्रकाशित उन लेखों पर आपत्ति जतायी है, जिनमें आरोप लगाया गया है कि उनका पाकिस्तान के कराची में होटल और रियल एस्टेट का कारोबार है। पिछले साल जनवरी में अधिवक्ता चित्रा सालुंखे के माध्यम से दायर शेवाले की याचिका के अनुसार, लेख ''मनगढ़ंत'' और ''किसी भी गुणदोष से रहित'' थे। बेगुनाही का दावा करते हुए और आरोप लगाते हुए कि उन्हें झूठा फंसाया गया है, ठाकरे और राउत ने मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष आरोपमुक्त करने का आवेदन दायर किया था।

अब सिद्धिविनायक मंदिर के लड्डुओं की शुद्धता पर सवाल

दोपहर संवाददाता । मुंबई

आंध्र प्रदेश के तिरुपति स्थित बालाजी मंदिर में लड्डुओं में पशु चर्बी मिलाने के खुलासे और हिन्दुओं की आस्था को ठेस पहुंचने के विवाद के बाद अब मुंबई के प्रसिद्ध सिद्धिविनायक मंदिर के लड्डुओं की शुद्धता पर भी सवाल उठने लगे हैं। सिद्धिविनायक मंदिर के प्रसाद में चूहों के बच्चे मिले हैं। इसके बाद ये सवाल उठने लगे हैं कि प्रसाद साफ-सुथरे स्थल पर बनाकर नहीं रखे जा रहे हैं और वह अशुद्ध हैं। ये आरोप एक वीडियो के आधार पर लगाए जा रहे हैं, जिसमें सिद्धिविनायक मंदिर ट्रस्ट की ओर से श्रद्धालुओं को बांटे जाने वाले 'महाप्रसाद लड्डू' के पैकेट में चूहे के बच्चे मिले हैं।

एक रिपोर्ट में कहा गया है कि सीसीटीवी फुटेज में प्रसाद के पैक्ट्स में चूहे दिख रहे हैं। इस आरोप पर सिद्धिविनायक मंदिर मंदिर ट्रस्ट की सचिव वीणा पाटिल ने यह मानने से इनकार किया है कि फुटेज मंदिर ट्रस्ट के अंदर की हैं। हालांकि उन्होंने कहा है कि वह उन तस्वीरों और वीडियो फुटेज की जांच कराएंगी।

महाराष्ट्र में बीजेपी की चुनावी तैयारी तेज

- 24 को अमित शाह तो 26 सितंबर को पीएम मोदी करेंगे दौरा

नितिन तोरस्कर । मुंबई

लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में मिली करारी हार के बाद बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व महाराष्ट्र को लेकर गंभीर हो गया है। राज्य में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव की पृष्ठभूमि में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह व्यक्तिगत तौर पर महायुति की तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। पीएम मोदी व शाह राज्य के उन हिस्सों पर खासतौर पर ध्यान दे रहे हैं, जहां विभिन्न एजेंसियों के सर्वे में महायुति के हार की आशंका व्यक्त की गई है। इसी क्रम में अमित

शाह 24 सितंबर को दो दिवसीय महाराष्ट्र दौरे पर आ रहे हैं।

अमित शाह 24 सितंबर को नागपुर पहुंचने के बाद दोपहर 2 बजे सुरेश भट्ट सभागार में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। उसके बाद शाम 6.30 बजे छत्रपति संभाजी नगर, सिडको नं. 6, एमजीएम कैंपस स्थित रुक्मणि हॉल में पार्टी की बैठक में शामिल होकर पार्टी के प्रमुख पदाधिकारियों के साथ विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करेंगे।

नासिक भी पहुंचेंगे शाह

इसके बाद 25 सितंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नासिक के लिए रवाना होंगे। वहां दोपहर 02:40 बजे त्र्यंबकेश्वर रोड स्थित होटल में एक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद शाम 5.30 बजे कोल्हापुर के ताराबाई पार्क स्थित महासैनिक दरबार हॉल में पार्टी की प्रमुख नेताओं एवं पदाधिकारियों से विधानसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन करेंगे।

26 को पीएम मोदी पुणे में

शाह के प्रस्थान के दो दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुणे आने वाले हैं। सोमवार को उप मुख्यमंत्री और पुणे जिले के संरक्षक मंत्री अजित पवार ने प्रधानमंत्री प्रस्तावित दौरे के अनुसार प्रशासन द्वारा की जाने वाली तैयारियों की समीक्षा की।

इजराइल ने लेबनान पर 300 मिसाइल दागीं, 274 की मौत

लगातार 4 दिन में 900 स्ट्राइक कीं

एजेंसी । बेरूत

इजराइल ने सोमवार, 23 सितंबर को पूरे लेबनान में 300 से ज्यादा मिसाइल दागीं। इस हमले में अब तक 274 लोगों की मौत हो गई। वहीं, 1000 से ज्यादा लोग घायल हैं। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि इसमें 39 महिलाएं और 21 बच्चे हैं।

अलजजीरा के मुताबिक गाजा जंग शुरू होने के बाद लेबनान पर यह अब तक सबसे बड़ा हमला है। हमले के बाद लेबनान में दो दिन के लिए

स्कूल-कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। लोग सुरक्षित जगहों पर जाते देखे गए। इस वजह से कई शहरों में ट्रैफिक जाम की स्थिति है।

हमले के बाद इजराइल डिफेंस फोर्स (IDF) ने कहा है कि वे जल्द ही लेबनान के बेका घाटी में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भी हमला करेंगे। उन्होंने घाटी में रह रहे आम लोगों को तुरंत इलाका खाली करने को कहा है। इजराइल का यह लगातार चौथे दिन मिसाइल हमला है। इस दौरान लेबनान के शहरों पर 900 से ज्यादा मिसाइल दागीं गई, जिनमें अब तक 300 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं।

इजराइल ने पहले मैसेज भेजा, फिर हमले किए

इजराइली सेना ने हिजबुल्लाह के ठिकाने के करीब रहने वाले लोगों को तुरंत अपने घरों को छोड़ने की चेतावनी दी थी। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक, IDF प्रवक्ता रियर एडमिरल डैनियल हगारी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया था।

हमले से पहले मैसेज भेजा- लोग सुरक्षित जगहों पर चले जाएं

रेडियो स्टेशन किया हैक

सीएनएन के मुताबिक एक लेबनानी रेडियो स्टेशन को हैक कर लिया गया था। इसके बाद साउथ लेबनान से लोगों को सुरक्षित जगहों पर चले जाने कहा। रेडियो स्टेशन वॉयस ऑफ लेबनान ने सोमवार को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी। लेबनान की टेलिकॉम कंपनी ने कहा कि सोमवार को देशभर में 80 हजार लोगों को अनजान नंबर से ऑटोमेटिक कॉल गए।